हैदराबाद में दिनांक 02 अगस्त, 2024 को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित

प्राधिकरण की 126वीं बैठक का कार्यवृत

MINUTES OF THE 126th
MEETING OF THE AUTHORITY

Held on Dated 02nd August, 2024, at 03:30 PM at Hyderabad

उपस्थितः

अध्यक्ष	श्री देबाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री बी. सी. पटनायक
पूर्णकालिक सदस्य	श्री राजे कुमार सिन्हा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री सत्यजीत त्रिपाठी
अंशकालिक सदस्य	डा. मारुति प्रसाद तंगिराला (आभासी पद्धति)
अंशकालिक सदस्य	सीए रणजीत कुमार अग्रवाल (आभासी पद्धति)

साथ ही उपस्थितः

पदनामित अधिकारी	श्रीमती बी पद्मजा
बोर्ड सचिवालय	श्री रोनंकि वेंकटेश

Present:

Chairman	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Shri B.C Patnaik
Whole-time Member	Shri Rajay Kumar Sinha
Whole-time Member	Shri Satyajit Tripathy
Part-time Member	Dr. Maruthi Prasad Tangirala (Virtual Mode)
Part-time Member	CA Ranjeet Kumar Agarwal (Virtual Mode)

Also present:

Designated Officer	Smt. B Padmaja
Board's Secretariat	Shri Ronanki Venkatesh

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने श्री सत्यजीत त्रिपाठी का स्वागत किया जो पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार बैठक में उपस्थित हो रहे थे। अध्यक्ष ने श्री थामस देवसिया के योगदान को अभिलेखबद्ध किया जो 11 जुलाई 2024 तक प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य थे। यह जानने के बाद कि आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित है, अध्यक्ष ने विचार-विमर्श प्रारंभ किया।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष ने वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए उद्योग के कार्य-निष्पादन का उल्लेख किया। संगृहीत प्रीमियम के तौर पर 7.50% की वृद्धि दर के साथ यह रु.11.17 लाख करोड़ था। जबकि जीवन बीमाकर्ताओं ने 6% पर वृद्धि की, वहीं साधारण बीमाकर्ताओं ने 12.78% पर वृद्धि दर्शाई। जून 2024 तक प्रीमियम रु. 2.60 लाख करोड़ था जहाँ वृद्धि दर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 14.50% थी। जब कि जीवन बीमाकर्ताओं ने 14.70% पर वृद्धि की, साधारण बीमाकर्ताओं की वृद्धि 13.33% पर थी।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ पिछले वर्ष की रु.60 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु.68 लाख करोड़ हैं। जून 2024 तक एफडीआई अंतर्वाह लगभग रु.87,847 करोड़ था जहाँ बीमा कंपनियों ने रु.67,027 करोड़ प्रस्तुत किये, एफआरबी रु. 15,820 करोड़ लाये तथा मध्यवर्तियों का योगदान रु. 5,000 करोड़ था। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त पूँजी लगभग रु. 95,000 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष में यह रु. 92,000 करोड़ थी।

तदुपरांत, कार्यसूची की मदों पर चर्चा की गई।

8. स्वीकृत स्टाफ संख्या का संशोधन – सहायक प्रबंधक – अगले तीन वर्ष अर्थात् 2025, 2026 और 2027

8.1. यह प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकरण की 119वीं और 121वीं बैठकों में 2025 तक 120 सहायक प्रबंधकों (एएम) की भर्ती करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। विनियामक सुधारों की प्रगति को देखते हुए, पिछले दो वर्षों में क्षेत्र में अधिक संख्या में बीमाकर्ताओं का प्रवेश हुआ है और बाजार का विस्तार हो रहा है। उद्योग भी जोखिम आधारित पूँजी, इंड एएस (अभिसरित आईएफआरएस) तथा जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचे के कार्यान्वयन के तौर पर वैश्विक मानकों के साथ सुयोजित होने के लिए गति बढ़ा रहा है। पुनर्नवीकृत विनियामक ढाँचे में एक संवर्धित और प्रभावी पर्यवेक्षी कार्य का संचालन करने के लिए संसाधनों, विशेष रूप से मानव संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः यह प्रस्ताव है कि 2025 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष में 40 सहायक प्रबंधकों की भर्ती करने के द्वारा वर्ष 2027 के अंत तक सहायक प्रबंधकों (एएम) के प्रवेश ग्रेड में स्वीकृत संख्या को 225 तक बढ़ाया जाए।

8.2. कार्यसूची की उक्त मद का अनुमोदन किया गया।

10. शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी)

10.1. यह प्रस्तुत किया गया कि परिचालनगत सुविधा के लिए, निम्नलिखित विनियमों/मास्टर परिपत्रों में आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का प्रस्ताव हैः

1. आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024
2. आईआरडीएआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024
3. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं तथा लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024
4. आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध विषय) विनियम, 2024
5. बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024
6. ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्वों संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024

10.2. कार्यसूची की उक्त मद का अनुमोदन किया गया।

The Chairman extended a warm welcome to all the Members present. He welcomed Shri Satyajit Tripathy, who was attending the meeting for the first time after his appointment as Whole-time Member (Distribution). The Chairman placed on record contributions of Shri Thomas Devasia, who was the Whole-time Member of the Authority until 11th July 2024. After ascertaining that the requisite quorum was present, Chairman started the deliberations.

In his brief opening remarks, the Chairman touched upon the industry's performance for FY23-24. In terms of premium garnered it was ₹11.17 lakh crore with a growth rate of 7.50%. While the life insurers grew at 6%, general insurers grew at 12.78%. Premium upto June 2024 was ₹2.60 lakh crore with a growth rate of 14.50% over the corresponding period previous year. While life insurers grew at 14.70%, general insurers grew at 13.33%.

The Assets Under Management (AUM) of the industry as on 31st March 2024 are around ₹68 lakh crore as compared to ₹60 lakh crore previous year. The FDI inflow upto June 2024 was around ₹87,847crore with insurance companies bringing in ₹67,027 crore, FRBs bringing in ₹15,820 crore and Intermediaries bringing in ₹5,000 crore. The Paid-up Capital as on 31st March 2024 is around ₹95,000 crore as compared to ₹92,000 crore previous year.

Thereafter, agenda items were taken up.

8. Revision of Sanctioned Strength – Assistant Managers – next three years i.e., 2025, 2026 and 2027

8.1 It was presented that approval was accorded to recruit 120 Assistant Managers (AMs) by 2025 in the 119th and 121st Meetings of the Authority. In view of the regulatory reforms underway, last two years has witnessed entry of more number of insurers into the sector and the market expanding. Industry is also gearing up to align with global standards in terms of implementation of Risk Based Capital, Ind AS (converged IFRS) and Risk Based Supervisory Framework. For carrying out an enhanced and effective supervisory function in the revamped regulatory framework, there is a need to scale up resources, particularly human resources. It is therefore, proposed to increase the sanctioned strength in the entry grade of AMs to 225 by the end of the year 2027, by recruiting 40 AMs in each year, starting from 2025.

8.2 The agenda was approved.

10. Delegation of Powers (DoP)

10.1 It was presented that for operational convenience, delegation of powers under sub-section (1) of section 23 of IRDA Act, 1999 in the following Regulations/Master Circulars was proposed:

1. IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024
2. IRDAI (Bima Sugam- Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024
3. IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024
4. IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024
5. Master Circular on Corporate Governance for Insurers, 2024
6. Master Circular on Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations, 2024

10.2 The agenda was approved.